<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

नं. एफ.2(2)2017/एमसी/डीडीए/159 दिनांक: 25 सितंबर, 2017

विषय: <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 12 सितंबर, 2017 को राजनिवास, दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें। यदि इस कार्यवृत्त में किसी भी प्रकार का संशोधन हैं तो कृपया 7 दिनों के अंदर उनका प्रस्ताव किया जाए।

(डी.सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

<u>अध्यक्ष</u>

1. श्री अनिल बैजल
   उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

2. श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

3. श्री के. विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. डॉ महेश कुमार
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
5. श्री मनोज कुमार
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
6. श्री बी.के. त्रिपाठी
   सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड

7. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष

8. श्री सोमनाथ भारती, विधायक

9. श्री एस.के. बग्गा, विधायक

10. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

11. श्रीमती वीना विरमानी
    निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>विशेष आमंत्रित व्यक्ति</u>

1. डॉ एम.एम. कुट्टी
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. श्री एस.एन. सहाय
   प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

3. श्री राजीव यदुवंशी
   प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
4. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव

5. श्री ए. अनबरसू
   सचिव (एल एंड बी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
6. श्री के.के. जोद्दा
   मुख्य योजनाकार, टी.सी.पो.ओ.
7. डॉ. पुनीत कुमार गोयल
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

8 डॉ. रनवीर सिंह
  आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
9. श्री मधुप व्यास
  आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

10. श्री राजीव वर्मा

प्रधान आयुक्त, (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन एवं लैंड पूलिंग), दि.वि.प्रा.

11. श्री जे.पी. अग्रवाल

प्रधान आयुक्त, (आवास, प्रणाली एवं कॉमनवेल्थ गेम्स), दि.वि.प्रा.

12. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. श्रीमती स्वाति शर्मा

उप राज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव

2. श्री आर.एन. शर्मा

उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

3. श्री रवि धवन

उप राज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव

4. श्री अनूप ठाकुर

उप राज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:</u>

मंत्री (आवासन एवं शहरी मंत्रालय) के निजी सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय का कार्यालय, भारत सरकार

<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

(बैठक कक्ष)

नं. एफ.2(2)2017/एमसी/डीडीए/160 दिनांक: 25 सितंबर, 2017

विषय: <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 12 सितंबर, 2017 को राजनिवास, दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें। यदि कार्यवृत्त में किसी भी प्रकार का संशोधन हैं तो कृपया 7 दिनों के अंदर प्रस्ताव करें।

(जे. टोप्पो)
उप निदेशक (बैठक कक्ष)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार ।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सतर्कता अिधकारी
2. आयुक्त (भूमि निपटान)
3. आयुक्त (प्रणाली)
4. आयुक्त (कार्मिक)
5. आयुक्त (योजना)
6. मुख्य वास्तुविद्
7. मुख्य विधि सलाहकार
8. मुख्य लेखा अधिकारी
9. अपर आयुक्त (भूदृश्य)
10. वित्त सलाहकार (आवास)
11. निदेशक (भूमि लागत निर्धारण)
12. निदेशक (कार्य)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12 सितंबर, 2017 को अपराह्न 2.30 बजे राज निवास, दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल

उप राज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

1. श्री के. विनायक राव
   वित्त सदस्य, दिविप्रा
2. डॉ महेश कुमार
   अभियंता सदस्य, दिविप्रा
3. श्री मनोज कुमार
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
4. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष दिल्ली
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
7. श्री ओपी शर्मा, विधायक
8. श्रीमती वीना विरमानी
   निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>सचिव</u>

श्री डी.सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशेष आमंत्रितगण</u>

1. डॉ एम.एम. कुट्टी
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्री राजीव यदुवंशी
   प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

3. श्री ए. अंबरसु
   सचिव (भूमि एवं भवन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
4. डॉ. रणबीर सिंह
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

5. श्री मधुप व्यास
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

6. श्री राजीव वर्मा
   प्रधान सचिव (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन एवं लैंड पूलिंग), दिविप्रा

7. श्री जे.पी. अग्रवाल
   प्रधान सचिव (आवास, राष्ट्रमंडल खेल, प्रणाली एवं प्रधानमंत्री आवास योजना), दिविप्रा
8. श्री श्रीपाल
   प्रधान सचिव (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.

9.. श्री के.के. जोद्दर
   (मुख्य योजनाकार, नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय)
10. डॉ. दिलराज कौर
    अपर आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
11. श्री उमेश के. त्यागी
    विशेष सचिव, (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्री विजय कुमार

   उप राज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव

2. श्रीमती स्वाति शर्मा

   उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

3. श्री आर.एन. शर्मा

   उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

4. श्री रवि धवन

   उपराज्यपाल दिल्ली के संयुक्त सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगणों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 35/2017</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.07.2017 को राज निवास में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति▪।

एफ. 2(2)2017/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण की दिनांक 20.07.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति हुई, जैसा परिचालित किया गया।

<u>मद संख्या 36/2017</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.07.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ. 2(3)2017/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण की दिनांक 20.07.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

i) श्री सोमनाथ भारती ने बताया की कि दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर जिस लिंक पर खाली पड़ी भूमि से संबंधित सूचनाएँ अपलोड की गई थी, वे उपलब्ध नहीं हैं इसलिए मुद्रित प्रति उपलब्ध करवायी जाए।

ii) श्री ओ.पी. शर्मा ने डी.ए.वी. स्कूल, श्रेष्ठ विहार द्वारा अधिकृत दो प्लॉटों, जहाँ अनधिकृत निर्माण किया गया है, की स्थिति की जानकारी मांगने की इच्छा व्यक्त की ।

iii) श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहादिविप्रा के व्यावसायिक स्थलों के लिए आरक्षित राशि के निर्धारण में परिवर्तन की नीति अभी तक बनायी नहीं गई है।

iv) श्री विजेंदर गुप्ता ने रोहिणी में प्रस्तावित सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र की प्रगति की स्थिति संबंधी जानकारी की मांग की ।

v) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर प्राधिकरण के सदस्यों के पत्रों के अंतरिम और समापक प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है।

vi) श्री सोमनाथ भारती ने कहा है कि बेगमपुर गाँव में एक जलाशय हुआ करता था, हालांकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं राजस्व प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि बेगमपुर गाँव में कोई जलाशय नहीं है।

vii) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि बेगमपुर गाँव में कब्रिस्तान के लिए भूमि के आबंटन के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से नए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इस संबंध में एसडीएमसी द्वारा पहले से ही अनुरोध किया जा चुका है।

viii) श्री ओ.पी. शर्मा ने विश्वास नगर के मार्ग-अधिकार पर झुग्गियों को हटाए जाने के प्रयासों की सराहना की । हालांकि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि की गई कार्रवाई रिपोर्ट में उल्लेख है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थान परिवर्तन प्रभार के प्रेषण और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर स्थानांतरण (शिफ्ट) का कार्यक्रम निर्भर करता है।

ix) श्री ओ.पी. शर्मा ने कहा कि मार्गाधिकार पर झुग्गियों के स्थानांतरण के तीन अन्य मामले हैं, अत: इस मामलों पर भी कार्रवाई आरंभ किए जाने के की आवश्यकता है।

x) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि हौज खास गाँव में संरक्षित वन से एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का कार्य तुरंत आरंभ किया जाना चाहिए।

xi) श्री सोमनाथ भारती ने सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में अनधिकृत निर्माण पर प्रस्तावित कार्रवाई सूचना मांगी है, जो कथित तौर पर पहले एक कब्रिस्तान था।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए इन सभी मुद्दों की जांच दिविप्रा के संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी और अगली बैठक में स्थिति रिपोर्ट/की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।

<u>मद संख्या 37/2017</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित प्रावधानों के अनुसार विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमति प्रदान किए गए गैर-औद्योगिक गतिविधियों, जैसे कि 'आवासीय उपयोग (समूह आवास)' इत्यादि की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रभारों के निर्धारण की नीति और 'औद्योगिक' से 'व्यावसायिक/अस्पताल' के मामले में उपयोग प्रभारों के परिवर्तन में भी संशोधन/निर्धारण।
एफ.1(मिस.)2016/एलएसबी(I)

मद सूची में निहित प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि अन-अधिसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन प्रभारों/अतिरिक्त एफएआर/ बढ़े हुए एफएआर के संबंध में प्रभारों की वसूली संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा की जाएगी। इस मामले में अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास तुरंत भेजा जाएगा।

<u>मद सं. 38/2017</u>

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एल ए आर आर) अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा लैपस्ड घोषित की गई दिविप्रा भूमि के नए सिरे से अधिग्रहण के संबंध में नीति निर्णय।
एफ.पीएस/सीएलए/डीडीए/2017

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों के निम्नलिखित विचार भी उचित कारवाई के लिए नोट किए गए:-

क) ऐसे सभी मामलों के संबंध में, जहां अधिग्रहण की कार्यवाही मुआवजे का भुगतान न करने के कारण लैप्स घोषित कर दी गई है, यद्यपि अपेक्षित राशि दिविप्रा द्वारा भूमि एवं भवन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। नए अधिनियम के

अनुसार बढ़े हुए मुआवजे के कारण किसी भी अतिरिक्त वित्तीय देयता का वहन रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा किया जाना चाहिए,

ख) जिन मामलों में भूमि की अधिग्रहण कार्यवाहियों को लैप्स हुआ घोषित किया गया ऐसे सभी मामलों में गलतियों का निर्धारण और ज़िम्मेदारी तय करने के लिए एक औपचारिक जांच भी की जाए।

मद सं 39/2017

निजी स्वामित्व वाली भूमियों के नियोजित विकास के लिए प्रारूप नीति।
फ़ाइल न. एफ.3(33)2012/एमपी/पार्ट.II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

मद सं 40/2017

शैक्षणिक श्रेणी के प्लोटों के अंतर्गत अतिरिक्त शैक्षणिक क्रियाकलापों/ उपयोग परिसरों के अनुमेयता के लिए नीति।
एफ.12(55)92/आईएल/पार्ट

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को एजेंडा मद सं 37/2017 पर लिए गए निर्णय के अनुरूप अनुमति प्रभारों के संबंध में विकल्प 2 के साथ अनुमोदित किया गया था, यह भी निर्णय लिया गया था कि अतिरिक्त शैक्षणिक क्रियाकलापों के नियमितीकरण / अनुमति से पहले नियामक निकायों से अनापत्ति/ अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

मद सं 41/2017

दिविप्रा आवासीय योजना 2017 की स्थिति।
एफ.1(16)15/कोर्डिनेशन(हाउसिंग)/2015/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल सूचना को नोट किया गया।

मद सं 42/2017

लाइसेंस आधार पर दिविप्रा के सामुदायिक भवनों के आबंटन के लिए नीति।
एफ.1(8)2016/सीएच/जन/मोन./डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं 43/2017</u>

विकास क्षेत्र सं. 171 (द्वारका फेज़-I) के शेष क्षेत्र की अधिसूचना रद्द करना।
एफ.7(04)/2014/बिल्डिंग/मिस/रेज़िडेन्शियल

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं 44/2017</u>

ज़ोन-एफ में गोविंद पूरी में 4240 वर्गमीटर दिविप्रा भूमि के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' सुविधाओं (पुलिस स्टेशन) में प्रस्तावित परिवर्तन ।
एफ.20(04)/2017-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

<u>मद सं 45/2017</u>

ज़ोन-एफ में बाहरी रिंग रोड के ट्री-जंक्शन और भक्ति वेदान्त स्वामी मार्ग में आस्था कुंज के समीप "ओखला एन एस आई सी मेट्रो स्टेशन" के लिए डी.एम.आर.सी. द्वारा अधिग्रहीत भूमि के तीन पोकेटों के लिए भूमि उपयोग का मनोरंजनात्मक (पी2- जिला पार्क) से 'परिवहन' (टी 2) में प्रस्तावित परिवर्तन।
एफ.20(11)/2016-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

<u>मद सं 46/2017</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में उद्योग पर अध्याय से संबन्धित प्रस्तावित संशोधन- रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा सुझाया गया।

एफ.17(5)/2007-एमपी

भाग-क: एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामले को तुरंत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भेजा जाए।

भाग-ख: एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:

पैरा 7.7 नए औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित सूची के अंतर्गत अतिरिक्त फुटनोट जोड़ा जाए:

केंद्र सरकार द्वारा "यदि उचित समझा जाए और जनता के हित में हो, तो रा रा क्षे, दिल्ली सरकार के उद्यम विभाग के परामर्श से डी.एस.आई.आई.डी.सी द्वारा प्रेषित उपर्युक्त सूची में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए सिफ़ारिश शामिल की जाएगी।"

आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

<u>मद सं 47/2017</u>

नए मोती बाग आवासीय परिसर, नई दिल्ली में कौशल भवन के निर्माण के लिए कौशल विकास एवं उदयमशीलता मंत्रालय (एम एस डी ई), भारत सरकार को आबंटित योजना जोन-डी में आने वाले 0.55 हे.(1.354 एकड़) क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का व्यावसायिक से सरकारी (जी 2) में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(10)2016/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

<u>मद सं 48/2017</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिविप्रा के वार्षिक लेखा को स्वीकार करना।

एफ.6(1)2017-18/एकाऊंटस(एम)एनुअल एकाऊंटस 2016-17

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखा को स्वीकार किया गया।

<u>मद सं 49/2017</u>

37.21 करोड़ रुपए के निधि का विनियोजन- प्राधिकरण द्वारा अनुसमर्थन।
एफ.एप्परोपरिएशन/बजट/डीडीए/2017-18

निधियों के विनियोजन का अनुसमर्थन किया गया।

<u>प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य बिंदु:</u>

1. श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए: -

i) उन्होंने इंदिरा कैंप, वाल्मीकि कैंप और एफ-ब्लॉक, मालवीय नगर में दिविप्रा की जमीन पर पहले झुग्गी वासियों के पुनर्वास की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ii) मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिविप्रा की जमीन पर झुग्गियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है।

iii) क्या उद्घाटन कार्यों के लिए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

iv) एसडीएमसी द्वारा हरसुख पार्क के विकास के लिए सफदरजंग एन्क्लेव में दिविप्रा की भूमि के अस्थायी आबंटन के लिए अनुरोध किया गया, जिसका उपयोग वर्तमान में डम्पर ट्रकों की पार्किंग के लिए किया जा रहा है।

v) शेख सराय में नाले के पास दिविप्रा की भूमि को रामलीला ग्राउंड के रूप में नामित किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक या अधिक 'उत्सव ग्राउंड' को नामित किया जाना चाहिए।

2. श्री विजेंदर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान नीति के अनुसार, दि.वि.प्रा. आबंटित की गई केवल 25% भूमि या 2500 वर्ग मीटर पर, जो भी कम हो, रामलीलाओं के लिए, स्टालों की अनुमति देता है, जो कि अपर्याप्त है

3. श्री ओ पी शर्मा ने अनुरोध किया कि आनंद विहार में उपलब्ध भूमि के एक हिस्से को 'उत्सव ग्राउंड' के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

4. श्रीमती वीणा विरमानी ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए: -

i) यद्यपि दिविप्रा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए डीयूएसआईबी को भूमि प्रदान करता है, लेकिन डीयूएसआईबी इन परियोजनाओं के शुरू होने और पूरा होने पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करता है।

ii) लक्कड़ मंडी, कीर्ति नगर में 30 एकड़ खाली पड़ी दिविप्रा की भूमि पर स्वस्थाने झुग्गी पुनर्वास किया जा सकता है।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए इन सभी मुद्दों की जांच दिविप्रा के संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी और इसकी स्टेटस रिपोर्ट / कार्रवाई की सूचना और प्राधिकरण इसकी अगली बैठक में दी जाएगी।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

iv) दिविप्रा को अपने समाज भवन को चलाने और उनके रखरखाव के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करनी चाहिए।

2. श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए: -

i) हालांकि अर्जुन नगर में दिविप्रा की खाली जमीन पर पार्किंग स्थल के विकास के बारे में पहले प्राधिकरण की बैठकों में चर्चा की गई थी, लेकिन दिविप्रा ने अभी तक इस संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की है।

ii) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद दिविप्रा ने हौज खास गांव में खसरा नंबर 277 में अनधिकृत निर्माण को गिराने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

क) मुख्य कानूनी सलाहकार, दिविप्रा ने सूचित किया कि इस मामले में जल्द ही आवेदन दायर किए जाएंगे।

iii) सफदरजंग विकास क्षेत्र सी-4/141 में एक ढलाओ पर एक अनधिकृत भवन का निर्माण किया गया है।

iv) अरबिंदो कॉलेज के पास विजय मंडल पार्क में अतिक्रमण जारी है।

v) अधचीनी में समाज सदन को चलाने के लिए दिविप्रा द्वारा सौंपा नहीं गया है।

vi) श्री सोमनाथ भारती और श्री एस के बग्गा ने कहा कि विभिन्न मामलों पर दिविप्रा को भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है।

क) यह निर्देश दिया गया कि माननीय सदस्यों के सभी पत्रों का अंतरिम उत्तर 15 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए और उसके बाद अंतिम उत्तर दिया जाना चाहिए।

3. श्री ओ. पी. शर्मा ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए: -

i) उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई बड़े खाली दिविप्रा प्लॉट हैं जो असुरक्षित रहते हैं।

क) यह निदेश दिया गया था कि दिविप्रा की सभी खाली जमीनों की ठीक से चारदीवारी की जाए और सुरक्षित किया जाए।

ii) हालांकि उन्होंने डीएवी स्कूल, श्रेष्ठा विहार द्वारा भूमि अतिक्रमण के मामले को उठाया है, लेकिन दिविप्रा द्वारा कोर्ट केस का ठीक से प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है। मामले में अपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

क) इस बात पर सहमति हुई कि ऐसे मामलों में अपराधिक मामलों को दायर करने पर विचार किया जाना चाहिए।

iii) उनके निर्वाचन क्षेत्र में अतिक्रमण किए गए दो भूखंडों को बाद में दिविप्रा द्वारा आबंटित कर दिया गया था।

क) यह निदेश दिया गया कि मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

iv) दिविप्रा ने पहले फैसला किया था कि समारोह स्थलों पर अर्ध निर्माण के साथ कल्याण मंडपम का निर्माण दिविप्रा द्वारा किया जाएगा। इसके बजाय, दिविप्रा ने 20 भूखंडों की नीलामी करने का फैसला किया है, जो जनता को उचित लागत पर समारोह स्थल प्रदान करने का उद्देश्य निष्फल कर देगा ।

क) यह निदेश दिया गया था कि मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

4. श्री एस के बग्गा ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए: -

i) दि.वि.प्रा. ने कृष्णा नगर में एक भूखंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

ii) उनके निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से खाली दिविप्रा प्लॉट उपलब्ध हैं, लेकिन दिविप्रा ने अभी तक इन्हें योजना के अनुसार विकसित नहीं किया है।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।